

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू. अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, तारीख

सो. 136. नरयना गंगारपुर थाना क्षेत्र के जिला पटना में सर्वांगिक, प्राथमिक अर्थात् दफ्तर से बस्तिगारपुर एवं कडी रेल लाईन निर्माण के लिए सरकार द्वारा जमीन की जमीं अधिष्ठा है। उपरि उक्त इलाके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम राणी सराए, थाना नं० 136 के अतिरिक्त भूमि का एक सूचना अधिष्ठा है, जो मानक माप से क्रम-वेष 0.895 एकड़ के बराबर होता है और निम्नानुसार खेसरा संख्या 202, 203, 206, 207, 208, 209 एवं 214 सभी संशुद्ध है जिसकी गौहददी निम्न प्रकार है-


- उत्तर : खेसरा सो 202, 203, 206, 207 एवं 208 सभी 500 मी. 2
- पूरव : मौजा करमैनी, थाना नं०-133 का सीमाना 1
- दक्षिण : खेसरा सो 203, 206, 207, 208, 209, एवं 214 सभी संशुद्ध 5
- पश्चिम : मौजा महमूदपुर, थाना नं० 137 का सीमाना 1

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1994 की धारा 4 के अन्तर्गत की जाती है और कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है एवं सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है बिना इसका खंडन हो।

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1994 की धारा 4 के अन्तर्गत की जाती है और कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है एवं सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है बिना इसका खंडन हो।

भूमि का नक्शा भू अर्जन पदाधिकारी पटना में कार्यालय में तथा उन संशुद्ध बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कार्यालयों तथा इस अधिसूचना की संबंधित प्राथमिक कार्यालय में तत्पश्चात् लगे हुए मुख्य अधिका (निर्माण) पूर्ण कार्य करने, पटना, पटना के कार्यालयों एवं कार्यालयों में भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की धारा 12 में अन्य उपबन्धों के विनिर्दिष्ट कार्य करने को समुचित निगाहान के लिए अधिष्ठा अन्य सभी कार्य करने के लिए प्रतिकृत करती है।

इस अधिनियम की धारा 12(1) द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निम्नलिखित किया है कि परिशोधन की शीघ्रताको ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत कार्य नहीं हार्ने।


राजेंद्र प्रसाद

बिहार सरकार के आदेश से
राजेंद्र प्रसाद

1720/21-
ज्ञापक संख्या- 15/डी0 एल0 ए0 पटना (रेल)- 17/13 दिनांक- 02-07-13

- प्रतिलिपि 1 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन मदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2 प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशोपलब्ध तत्काल की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन मदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3 आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4 समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन मदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5 आई0 टी0 मैनेजर, संचार एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/7/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।